

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)  
राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 22.12.2024

राजस्व वाद संख्या : 122/2024

निर्णय दिनांक : 22.12.2024

जीसीएमएस संख्या- 2024/256

दागर दिनांक - 06.12.2024

1. गोपाल सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम बाघरारा आथूणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
2. दयाल सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम बाघरारा आथूणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
3. प्रेम सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम बाघरारा आथूणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
4. पतासी कंवर पत्नि सोहन सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम बाघरारा आथूणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु
5. पप्पू सिंह पुत्र नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम बाघरारा आथूणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु

बनाम

.....वादीगण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु राजस्थान

.....प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती

उपरिस्थित :-

1. श्री रमेश दिस्सु एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादी पेंरोकार राज उपरिस्थित।


—:निर्णय:—


संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खाता संख्या 42 के खसरा संख्या 221 तादादी 10.2298 हैक्टेयर व खेत खाता संख्या 506 के खसरा संख्या 468 तादादी 3.1865 हैक्टेयर व खसरा संख्या 484 तादादी 2.4025 हैक्टेयर वाके रोही बाघसरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में स्थित है। जिन्हे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादीगण का नाम दर्ज करते वक्त पटवारी हल्का ने गलती से वादीगण का बोलता नाम खेत खाता संख्या 42 के खसरा संख्या 221 तादादी 10.2298 हैक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 का नाम गोपालसिंह पुत्र सोनसिंह, वादी संख्या 2 का नाम दयालसिंह पुत्र सोनसिंह, वादी संख्या 3 का नाम प्रेमसिंह पुत्र सोनसिंह, वादी संख्या 4 का नाम पतासी पत्नि सोनसिंह, वादी संख्या 5 का नाम बुलसिंह पुत्र नारायणसिंह व खेत खाता संख्या 506 के खसरा संख्या 468 तादादी 3.1865 हैक्टेयर व खसरा संख्या 484 तादादी 2.4025 के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 का नाम गोपाल सिंह पुत्र सोनसिंह, वादी संख्या 2 का नाम दयालसिंह पुत्र सोनसिंह, वादी संख्या 3 का नाम प्रेमसिंह पुत्र सोनसिंह, वादी संख्या 4 का नाम पतासी पत्नि सोनसिंह व वादी संख्या 5 का नाम बुलसिंह पुत्र नारायणसिंह के नाम खातेदारी अंकित कर दिया जबकि वादीगण का वास्तविक नाम क्रमशः 1. गोपाल



सदस्य  
लोक अदालत  
सुजानगढ़


  
सदस्य  
लोक अदालत  
सुजानगढ़


  
लोक अदालत  
सुजानगढ़




3. प्रेम सिंह पुत्र सोहन सिंह, 4. पतारसी कँवर पत्नि रोहन सिंह, 5. पणु सिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह निवासी  
ग्राम बाघसरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार पत्रादेश जारी किया  
हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुपरी  
गया।

  
न्यायिक अधिकारी  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
सुजानगढ़

  
पैनल अधिवक्ता (सदस्य)  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
सुजानगढ़

  
रेव्यू अधिकारी (सदस्य)  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
सुजानगढ़

## डिकरी व मुकदमे इन्दादाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जस्य दावानो)

### (Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत - राष्ट्रीय लोक अदालत सुजानगढ़ दिनांक 22.12.2024

गोपालसिंह आदि बनाम राज, सरकार

दावा बाबत रेकॉर्ड नुंरुखी

मुकदमा नं० 122 सन 2024

मह मुकदमा आज चारते इन्फिशाल कतई रु-व-र हाजरी श्री रमेश बिसु एड. गिनजानिव मुद्दई .. गिनजानिव मुवापलाह पेश होकर हुगम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिकरी किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके सोही बाधसरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु के खेत खाता संख्या 42 के खसरा संख्या 221 तादादी 10.2298 हैक्टेयर के राजरव रिक्कोई में वादी संख्या 1 का नाम गोपालसिंह पुत्र सोनसिंह, वादी संख्या 2 का नाम दयालसिंह पुत्र सोनसिंह, वादी संख्या 3 का नाम प्रेमसिंह पुत्र सोनसिंह, वादी संख्या 4 का नाम पतारसी पत्नि सोनसिंह, वादी संख्या 5 का नाम बुलसिंह पुत्र नारायणसिंह व खेत खाता संख्या 506 के खसरा संख्या 468 तादादी 3.1865 हैक्टेयर व खसरा संख्या 484 तादादी 2.4025 के राजरव रिक्कोई में वादी संख्या 1 का नाम गोपाल सिंह पुत्र सोनसिंह, वादी संख्या 2 का नाम दयालसिंह पुत्र सोनसिंह, वादी संख्या 3 का नाम प्रेमसिंह पुत्र सोनसिंह, वादी संख्या 4 का नाम पतारसी पत्नि सोनसिंह व वादी संख्या 5 का नाम बुलसिंह पुत्र नारायणसिंह के स्थान पर क्रमशः 1. गोपाल सिंह पुत्र सोहन सिंह, 2. दयाल सिंह पुत्र सोहन सिंह, 3. प्रेम सिंह पुत्र सोहन सिंह, 4. पतारसी कँवर पत्नि सोहन सिंह, 5. पप्पू सिंह पुत्र नारायणसिंह निवासी ग्राम बाधसरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिकरी जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

बीज ..... मुवलिग ..... बाबत .....  
 खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ..... फीरदी सालाना आज की  
 तारीख से तारीख तरूलगादी तक ..... को अदा करे।  
 बराबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 12. 2024

न्यायिक अधिकारी  
 राष्ट्रीय लोक अदालत  
 सुजानगढ़

पैनल अधिकारी (सदस्य)  
 राष्ट्रीय लोक अदालत  
 सुजानगढ़

रेव्यू अधिकारी (सदस्य)  
 राष्ट्रीय लोक अदालत  
 सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पे.	मुद्दायलाई	रुपया	पे.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत		
बाबत इजराय हुक्मनामा			इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये